न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – शिवाक्षी खांडल (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

राजस्व वाद पत्र संख्या 25 / 2021

उनवान

1. अमर सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री समदा सिंह जाति रावत, आयु करीबन 64 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 3, ग्राम हाथीखेडा, फाईसागर रोड, अजमेर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. श्री पन्ना सिंह पुत्र स्व0 श्री समदा सिंह जाति रावत, आयु करीबन वर्ष निवासी वार्ड संख्या , ग्राम हाथीखेडा, फाईसागर रोड, अजमेर जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, अजमेर
3. उप पंजीयक प्रथम अजमेर
4. उप पंजीयक द्वितीय अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :– 08.08.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । वकील उभय पक्ष उपस्थित । वादी अभिभाषक ने निवेदन किया गया कि तहसीलदार अजमेर द्वारा कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में सुनवाई कर अंतिम निर्णय पारित किया जाए । जिस पर उपस्थित पक्षकारान को वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुना गया।

तहसीलदार अजमेर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक / भू.अ. / न्याया / 2023 / 883 दिनांक 23.01.2023 से कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तहसीलदार अजमेर ने मौका पर्चा प्रस्तुत कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.12.2022 की पालना में ग्राम हाथीखेडा के खसरा नम्बर 346, खसरा नम्बर 376 खसरा नम्बर 377 व 378 कुल किता 4 रकबा 0.68 हैक्टर के बटवारा हेतु दोनो पक्ष उपस्थित हुए । वादी व प्रतिवादी मौके पर उपस्थित रहे। दोनो पक्षो की मौजूदगी में बताये अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जिसमें राजस्व मानचित्र में अमर सिह पुत्र समदा जाति रावत सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 346 रकबा 0.17 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 376 मि0 रकबा 0.15 किस्म चाही 2 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.32 एवं श्री पन्ना सिह पुत्र समदा सिह जाति रावत सा0 देह को खसरा नम्बर 378 रकबा 0.14 किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 377 मि0 रकबा 0.02 किस्म चाह, खसरा नम्बर 376 मि0 रकबा 0.16 किस्म चाही 2

खसरा 3 कुल रकबा 0.32 इसी प्रकार श्री अमर सिह पुत्र समदा सिह जाति रावत 1/2 एवं श्री पन्ना सिह पुत्र समदा सिह जाति रावत 1/2 हि0 सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 376 मि0 रकबा 0.02 किस्म चाही 2 (रास्ता), खसरा नम्बर 377 मि0 रकबा 0.02 किस्म चाह (रास्ता) हेतु कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.01.2023 अनुसार ग्राम हाथीखेड़ा तहसील अजमेर अवस्थित भूमियों को अमर सिह पुत्र समदा जाति रावत सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 346 रकबा 0.17 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 376 मि0 रकबा 0.15 किस्म चाही 2 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.32 एवं श्री पन्ना सिह पुत्र समदा सिह जाति रावत सा0 देह को खसरा नम्बर 378 रकबा 0.14 किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 377 मि0 रकबा 0.02 किस्म चाह, खसरा नम्बर 376 मि0 रकबा 0.16 किस्म चाही 2 कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.32 इसी प्रकार श्री अमर सिह पुत्र समदा सिह जाति रावत 1/2 हि0 एवं श्री पन्ना सिह पुत्र समदा सिह जाति रावत 1/2 हि0 सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 376 मि0 रकबा 0.02 किस्म चाही 2 (रास्ता), खसरा नम्बर 377 मि0 रकबा 0.02 किस्म चाह (रास्ता) जो वादी एवं प्रतिवादी की सयुक्त खातेदारी में दर्ज रहेगा । जिसका उपयोग उपभोग रास्ते हेतु किया जायेगा। तथा खसरा नम्बर 377 मिन रकबा 0.02 चाह के उपयोग उपभोग में वादी एवं प्रतिवादी की बराबर हिस्सेदारी रहेगी । इस प्रकार से उक्त विभाजन कर पृथक्–पृथक् रंगो में नक्शा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें किसी पक्षकार द्वारा एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है।

परिणामतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.01.2023 के अनुसार उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जाती है। अंतिम डिक्री मय एक प्रति विभाजन प्रस्ताव के साथ तहसीलदार अजमेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 08.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

शिवाक्षी खांडल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर